ईमेल/फैक्स
संख्या-1706 /छः-पु0-8-19-801(23)/2018

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **पुलिस महानिदेशक,**
फायर सर्विस,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

4. **उपाध्यक्ष/अध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

5. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

6. **मुख्य कार्यपालक अधिकारी**
नोएडा/ग्रेटर नोएडा।

गृह (पुलिस) अनुभाग-8 **लखनऊः दिनांक 26 सितम्बर, 2019**

विषय :-प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा अग्निशमन विभाग की सेवाओं को आम जन मानस तक उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषय के संबधं में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आम जन मानस से संबंधित सेवाओं, जिनमें जनहित गारण्टी अधिनियम उ0प्र0 के अन्तर्गत सेवायें सम्मिलित हैं, को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाना एवं उन सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) से इन्टीग्रेट किया जाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।

2. वर्तमान में प्रदेश के अग्निशमन सेवा कार्यालय में वेब पोर्टल (http://upfire service.gov.in) से अग्निशमन विभाग की निम्नलिखित सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा जनसामान्य के लिये उपलब्ध है :-

कोड संख्या	Name of Service	सेवा का नाम
	Provisional No Objection Certificate	औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाण पत्र
	Final No Objection Certificate	अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र
	Renewal	नवीनीकरण
	Fire Damage Report /Fire Report	फायर डैमेज रिपोर्ट/फायर रिपोर्ट

3. उपरोक्त के परिपेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्तर 02 में इंगित अग्निशमन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) के माध्यम से इन्टीग्रेट कराते हुए आम जन मानस को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. उक्त चयनित सेवाओं को एन0आई0सी0 की तकनीकी टीम द्वारा ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से इन्टीग्रेट करना है। अतः ई-डिस्ट्रिक पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) के माध्यम से अग्निशमन सेवा की उक्त 04 इन्टीग्रेटेड सेवाओं को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :-

i. उक्त सेवाओं को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेन्टर्स यथा- जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से आम जन मानस को उपलब्ध कराया जायेगा।

ii. अधिकृत केन्द्रों की सूची कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा अग्निशमन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे अग्निशमन सेवा की वेबसाईट पोर्टल (http://upfireservice.gov.in) पर जन सूचनार्थ प्रदर्शित किया जायेगा।

iii. कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से उक्त सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक औपचारिकताओं/व्यवस्थाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी।

iv. आवेदक के अनुरोध पर कॉमन सर्विस सेन्टर्स के अधिकृत आपरेटर द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अग्निशमन सेवा के उक्त पोर्टल पर दी गयी आवेदन की प्रक्रिया तथा यथा नियम फीस भुगतान की व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा एवं विभाग के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित फीस धनराशि को उसी वेब पोर्टल से लिंक्ड बैंक खातें में क्रेडिट किया जायेगा।

v. फायर डैमेज रिपोर्ट/फायर रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूर्ण (Complete) तभी माना जायेगा जब अग्निशमन सेवा के वेब पोर्टल पर उस या आवेदन की ई-रसीद की स्कैन्ड प्रति अपलोड कर दी जाय।

vi. आवेदकों की जानकारी के लिये कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा अपने सभी अधिकृत केन्द्रों पर आवेदन की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण, यूजर चार्जेज का विवरण तथा आवेदक को कॉमन सर्विस सेन्टर्स के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण उचित स्थान पर प्रदर्शित कराया जायेगा।

5. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आये आवेदनों को अग्निशमन सेवा के सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रॉसेस किया जायेगा, जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रॉसेस कर रहे हैं।

6. कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ।
6. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0 शासन।
7. स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स आफिसर, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
8. समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
9. समस्त उप निदेशक/मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उ0प्र0।
10. प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष, गृह विभाग, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि गृह विभाग की शासकीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
11. गृह(पुलिस) अनुभाग-15
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
विशेष सचिव।